यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर के माह 05/2013 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.12.2018 से 07.12.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा अभिलेख तथा उनके संबन्धित अनुपालन आख्या रिपोर्ट अनुपलब्ध पायी गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा भारत सरकार डीजीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु कुशल बनाया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में श्रीनगर क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2014-15	0.00	0.00	279.40	255.68	93.38	87.75	-	29.35
2	2015-16	0.00	0.00	276.00	270.59	59.19	46.65	-	17.95
3	2016-17	0.00	0.00	346.55	307.47	93.49	92.40	-	40.17
4	2017-18	0.00	0.00	368.00	347.78	125.65	123.63	-	22.24
5	2018-19	0.00	0.00	388.58	239.21	106.02	56.64	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05/2013 से 11/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना धनराशि रु 25.32 लाख के व्यय संबंधी अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया गया।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2008 के अनुसार अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए।
कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखाशीर्ष 2230-03-003-03 के अंतर्गत मानक मद-26 'मशीन और साज-सज्जा/उपकरण' में रु 25.32 लाख आबंटन के सापेक्ष शत-प्रतिशत राशि का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया	धनराशि
1.	बी22300021	81	16.03.17	Mannu Enterprises	57952
2.	बी22300022	80	16.03.17	Lipi Enterprises	106400
3.	बी22300025	77	16.03.17	Lipi Enterprises	453998
4.	बी22300026	76	16.03.17	Lipi Enterprises	64440
5	बी22300027	75	16.03.17	Lipi Enterprises	72350
6	बी22300028	74	16.03.17	Mannu Enterprises	535004
7	बी22300035	87	16.03.17	----	118851
8	बी22300039	83	16.03.17	Ridam Enterprisese	49521
9	बी22300040	82	16.03.17	Mannu Enterprises	23907
10	बी22300041	88	16.03.17	Lipi Enterprises	376147
11	बी22300078	95	24.03.17	Mannu Enterprises	47788
12	बी22300083	97	24.03.17	Lipi Enterprises	67897
13	बी22300084	98	24.03.17	Mannu Enterprises	90179
14	बी22300201	129	31.03.17	Puri Scientific Works	246923
15	बी22300202	128	31.03.17	Puri Scientific Works	221268
				योग	2532625

जांच में पाया गया कि टूल्स एवं मशीनों हेतु धनराशि रु 25.32 लाख का भुगतान विभिन्न उक्त फ़र्म को बिना कोई क्रय प्रक्रिया अपनाए इकाई द्वारा किया गया। इकाई ने बताया कि संबन्धित मशीनों एवं उपकरणों के क्रय पद्दति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट में अप्रस्तुत पाया गया। फर्मों /आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश निदेशालय स्तर से जारी किए गए थे, जिसके सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही इकाई स्तर से पूरी करायी गयी। इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद निदेशालय से बिना क्रय आदेशो की प्रतिलिपि प्राप्त किए एवं क्रय पत्रावली/ संबन्धित अभिलेखों को प्राप्त किए, न केवल फर्मों को भुगतान किया गया बल्कि इकाई द्वारा निदेशालय

द्वारा सत्यापित(verified) मशीनों एवं उपकरणों की सूची प्राप्त नही की गयी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत देयकों/वाउचरों में संलग्न मात्र एक क्रय आदेश जो निदेशालय द्वारा जारी किए गए थे के अनुसार फर्म को भुगतान का दायित्व निदेशालय प्रशिक्षण का था एवं फ़र्म को भुगतान से पूर्व installation आदि कार्यो के उपरान्त ही भुगतान किया जाना था, जबकि उक्त के परिपेक्ष्य में उपकरणो एवं मशीनों से संबन्धित कोई निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन/shortage/कमी रिपोर्ट/ technical verification रिपोर्ट आदि लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत पायी गयी साथ ही मशीनों एवं उपकरणों से संबन्धित कोई इनवेंटरी/ सूची (जिसमें item wise भुगतान का विवरण हो जो निदेशालय से सत्यापित/अनुमन्य हो) का रखरखाव इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि क्रय/कोटेशन की प्रक्रिया निदेशालय द्वारा अपनाई गयी संबन्धित पत्रवालिया इकाई स्तर से उपलब्ध करा पाना संभव नही है। संस्थान की मांग के अनुसार ही निदेशालय से क्रय आदेश निर्गत किए गए थे आपूर्तित साज सज्जा की संतोषजनक स्थिति में प्राप्त होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की गयी तथा बिना क्रय आदेश प्राप्त किए फ़र्म को भुगतान किए जाने की टिप्पणी पर इकाई ने बताया कि निदेशालय द्वारा निर्देशित फ़र्म को प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष भुगतान किया गया, इस संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन किया गया।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, इकाई द्वारा न केवल अधिप्राप्ति नियमों की अनदेखी कर बिना क्रय प्रक्रिया से अवगत हुये धनराशि रु 25.32 लाख का व्यय विभिन्न फ़र्म को किया गया बल्कि निदेशालय स्तर से संबन्धित मशीनों एवं टूल्स के अभिलेखों/ सत्यापित मांग सूची प्राप्त करने का कोई प्रयास न कर भुगतान किया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:- 1- समन्वय के अभाव में धनराशि रु 24.65 लाख का अतिरिक्त अनियमित व्यय तथा अर्जित ब्याज रु 7.27 लाख के गलत लेखाशीर्ष में जमा किए जाने का प्रकरण पाया जाना।

शासनादेश 1335/VIII/70-प्रशि॰/2008, दिनांक 09.07.2010 एवं शासनादेश 84/XLI-1/2013-70/प्रशि॰/06, दिनांक 18.03.2013 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गैण्डखाल के अनवासीय भवन निर्माण हेतु क्रमशः स्वीकृत मूल धनराशि रु 168.74 लाख एवं पुनरीक्षित लागत 233.28 लाख (लो॰नि॰ वि॰ की वर्ष 2013 की दरो पर आधारित पुनरीक्षित आगणन रु 236.05 लाख के सापेक्ष रु 233.28 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम, श्रीकोट, श्रीनगर को समस्त धनराशि रु 233.28 लाख माह 02/2016 तक इकाई द्वारा एजेंसी को अवमुक्त किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है:- रु10.00 लाख- माह 07/2010, रु50.00 लाख- माह 05/2011, रु50.00 लाख- माह 03/2013, रु73.74 लाख- माह 04/2015 तथा अंतिम किस्त रु49.54 लाख- माह 02/2016 ।

उक्त निर्माण कार्यो के संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य माह 03/2016 को पूर्ण कर लिए गया एवं माह 08/2017 कि मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति धनराशि रु 190.74 लाख के सापेक्ष 100% पायी गयी तथा अवशेष धनराशि रु 26.03 लाख एजेंसी के पास पायी गयी तथा वर्तमान 11/2018 की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट धनराशि रु 215.39 लाख के सापेक्ष 100% पायी गयी एवं लेखाबन्दी पूर्ण पायी गयी परंतु लेखापरीक्षा में एजेसी द्वारा पुनः दिनांक 11/2018 को प्रेषित मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में पूर्व रिपोर्ट की तुलना में रु 24.65 लाख का अतिरिक्त व्यय प्रगति रिपोर्ट में शामिल कर इकाई को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, इस प्रकार रु 24.65 लाख का अतिरिक्त व्यय हेतु किए गए कार्यो का विवरण तथा इस संबंध में ग्राहक विभाग से ली गयी पूर्व अनुमति संबंधी कोई भी साक्ष्य इकाई द्वारा लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत पाया गया। साथ ही आगे जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य वर्ष 08/2016 में पूर्ण होने के बाद भी माह 12/2017 (17 माह विलम्ब) को संस्थान/भवन निर्माण कार्य हस्तगत किया गया। जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक एजेंसी द्वारा उक्त योजना से अर्जित ब्याज की धनराशि रु 7.27 लाख (रु1.14 लाख माह 09/18, रु5.30 लाख माह 04/16 तथा रु 0.82 लाख माह 03/14) संस्थान को प्रदान की गयी थी जिसे संस्थान द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप में विभागीय लेखाशीर्ष 0230-00-104-01 में जमा किया गया जबकि संबन्धित अर्जित ब्याज की धनराशि को लेखाशीर्ष 0049 अर्जित ब्याज में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि इस संदर्भ में निर्माण इकाई से जानकारी प्राप्त कर आख्या में प्रस्तुत किया जाएगा एवं निर्माण एजेसी द्वारा भवन को 12/2017 में हस्तगत किया गया लेखाबंदी के उपरान्त इकाई द्वारा मात्र अर्जित ब्याज की धनराशि की वापसी की गयी, निर्माण इकाई से

पत्राचार कर अवमुक्त की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष अर्जित ब्याज एवं मूल धनराशि जो कार्य के उपरान्त शेष रह गयी थी जैसी भी स्थिति हो से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि कार्यदायी संस्था एवं इकाई के बीच समन्वय की कमी के कारण निर्माण कार्य रु 190.74 लाख में पूर्ण होने के बाद भी शेष धनराशि एजेसी द्वारा समर्पित नही की गयी साथ ही स्वीकृत कार्यों के इतर कार्यो हेतु समस्त धनराशि रु 233.28 लाख का उपभोग निर्माण एजेंसी द्वारा किया गया एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष के बाद संबन्धित लेखाबन्दी पूर्ण करते हुये अतिरिक्त अनियमित व्यय रु 24.65 किया गया, साथ ही अर्जित ब्याज की धनराशि रु 7.27 लाख को गलत लेखाशीर्ष में जमा किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री सी॰एम॰ बहुगुणा	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर	लेखापरीक्षा अवधि से 22.06.13 तक
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर	24.06.13 से 23.10.13 तक
श्री सी॰एम॰ बहुगुणा	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर	24.10.13 से 31.10.13 तक
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर	01.11.13 से 16.07.17 तक
श्री जे॰ एम॰ नेगी	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर	17.07.17 से 22.09.17 तक
श्री डी॰ एस॰ नेगी	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर	22.09.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.